06/04/26 पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर। वाद-2 अपलड दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक प्रतिवादीगण की तामिल की रसीदे पेश नहीं अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बारांरामगढ़